संख्या-184/2026/741/22-2-2025-17(887)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह (दिनांक 01.05.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 50 वर्ष 09 माह) ग्राम-कन्सो, थाना-हलधरपुर, जनपद-मऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.1994 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-123/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मऊ के आदेश दिनांक 22.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 07 माह 27 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 08 माह 12 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, मऊ द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के ग्राम में गुटबन्दी को लेकर काफी कसीदगी व तनाव व्याप्त है व विपक्षी का घर आमने सामने है समयपूर्व छूट जाने पर पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, वादी व उसके परिजनों के अन्दर व्याप्त भय के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी को निरूद्ध रखना आवश्यक व विधिसम्मत होगा, गाँव में आपसी दुश्मनी है, पुनः संगीन घटना कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 07 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 12 दिन की भोगी गयी सजा, रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सत्येन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-342/2019) पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-184/2026/741(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।